निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 44 / 2024
दायरा दिनांकः–25.09.2024
निर्णय दिनांकः– 28.10.24

उनवान

1. पप्पुलाल उर्फ मदनमोहन आयु 47 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीना पेशा काश्तकारी निवासी निपानी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

2. सरकार जर्ये पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 28.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कृष्णा गोपाल भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खाता संख्या 137 की खसरा नंबर 282 रकबा 0.1265 है० माल द्वितीय भूमि वाके ग्राम निपानी पटवार हल्का निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/14 दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 90 की खसरा नंबर 1143 रकबा 0.5437 है०, खसरा नंबर 1145 रकबा 1.1001 है0 कुल किता दो रकबा 1.6438 है० भूमि वाके माल निपानिया तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज है। प्रार्थी को घर पर पप्पूलाल के नाम से पुकारते थे। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मदनमोहन मीना है, जो आधार कार्ड में दर्ज है, आईडेन्टी कार्ड में भी मदनमोहन दर्ज है तथा जन आधार कार्ड में भी मदनमोहन दर्ज है। इस प्रकार राशनकार्ड में भी मदनमोहन दर्ज है, राशनकार्ड में मदनमोहन उर्फ पप्पू दर्ज है तथा इसी प्रकार मार्कशीट में भी मदनमोहन दर्ज है एवं बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका में भी मदनमोहन दर्ज है। लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों को इंतकाल खोलते समय घर का नाम बता दिया। जिससे पप्पूलाल नाम दर्ज हो गया है। खाते की नकल में पप्पूलाल नाम दर्ज होने से न तो मुआवजा प्राप्त होता है और न ही किसान सम्मान निधि का पैसा प्राप्त होता है तथा भूमि पर किसी प्रकार का लोन भी नहीं ले सकता हूं, और न ही अपनी भूमि की तारबंदी करा सकता हूं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के नाम में पप्पूलाल उर्फ मदनमोहन जोड़ना आवश्यक है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों को अवलोकन करने से वास्तविक स्थिति में प्रार्थी का नाम मदनमोहन उर्फ पप्पूलाल दर्ज करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी को समस्त सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानी सम्वत् 2073–76 संख्या संख्या 137 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 90 फोटो प्रति आधार कार्ड मदनमोहन मीना फोटो प्रति पहचान पत्र मदनमोहन फोटो प्रति जन आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड अंक तालिका कक्षा 9 अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानी व निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी को घर पर पप्पुलाल के नाम से पुकारतें थे। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मदनमोहन मीना है प्रार्थी का नाम आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड राशन कार्ड में मदनमोहन दर्ज है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका में प्रार्थी का नाम मदनमोहन दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पप्पुलाल दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में पप्पुलाल नाम दर्ज होने से ना तो मुआवजा मिलता है और ना ही किसान सम्मान निधि का पैसा प्राप्त होता है तथा भूमि पर किसी प्रकार का ऋण भी नही ले सकतें है प्रार्थी अपना नाम पप्पुलाल के स्थान पर पप्पुलाल उर्फ मदनमोहन करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 137 में प्रार्थी का नाम पप्पुलाल पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/14 जाति मीना दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 90 में प्रार्थी का नाम पप्पुलाल पुत्र श्यामा हिस्सा 1/7 जाति मीना दर्ज है। फोटो प्रति आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड कक्षा 9 की अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका में मदनमोहन पुत्र श्यामलाल दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम मदनमोहन पुत्र श्यामलाल है। प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम निपानी के खाता संख्या 137 खसरा नम्बर 282 रकबा 0.1265 है0 एवं ग्राम निपानिया के खाता संख्या 90 के खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.5437 है0 खसरा नम्बर 1145 रकबा 1.1001 है0 भूमि में खातेदार पप्पुलाल पुत्र श्यामलाल जाति मीणा दर्ज रिकार्ड है वादी के बारे में ग्राम वासियों से जानकारी पर ज्ञात हुआ। कि पप्पुलाल पुत्र श्यामलाल को मदनमोहन नाम से भी पुकारा जाता है अर्थात् पप्पुलाल उर्फ मदनमोहन पुत्र श्यामलाल दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम मदनमोहन है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पप्पुलाल दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम पप्पुलाल पुत्र श्यामलाल के स्थान पर पप्पुलाल उर्फ मदनमोहन दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 282 रकबा 0.1265 है0 एवं ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.5437 है खसरा नम्बर 1145 रकबा 1.1001 है में दर्ज पप्पुलाल के स्थान पर पप्पुलाल उर्फ मदनमोहन दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)